

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं.-(07632-248414)

email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/तकनीकी/

2355

बालाघाट, दिनांक 02/04/2025

प्रति,

"डिमाण्ड नोट"

महाप्रबंधक,

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक- 1, बालाघाट (म.प्र.)

विषय:-

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत डाबरी-कलकत्ता ब्याया लातरीटोला से माहुरदल्ली, बोदालझोला तक मार्ग निर्माण हेतु दक्षिण बालाघाट वनमंडल की 11.76 हे० एवं उत्तर बालाघाट वनमंडल की 3.96 हे० कुल 15.72 हे० (ऑनलाईन आवेदित 18.488 हे०) वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने के ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/156088/2022 में शासन द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र०- A(10) के अनुपालन में रोड साईड प्लांटेशन योजना की राशि जमा करने बाबत।

संदर्भ :-

- (1) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 021/2023- बीएचओ/ दिनांक 13.02.2024 एवं पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 021/2023- बीएचओ/1/71687/2024 दिनांक 09.05.2024
- (2) कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1260/2023/10-11/2675 दिनांक 21.05.2024

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों, जिनकी प्रतिलिपी आपको पृष्ठांकित प्रेषित है, के परितेक्ष में प्रकरण में अधिरोपित शर्त क्रमांक- A(10) अन्तर्गत रोड साईड प्लांटेशन हेतु वन परिक्षेत्र अधिकारी किरनापुर (सा.) परिक्षेत्र के पत्र प्रतिवेदन क्रमांक/502 दिनांक 26.03.2025 एवं उपवनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल के पत्र प्रतिवेदन क्रमांक/613 दिनांक 26.03.2025 से प्राप्त 11 वर्षीय तैयार योजनानुसार आंकलित राशि रुपये 94,25,602.00 (रुपये चौरानबे लाख, पच्चीस हजार, छः सौ दो मात्र) जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा उनके आदेश क्रमांक/व्यय ऑ./109 दिनांक 28.03.2025 एवं पत्र पृ.क्र./व्यय ऑ./1616 दिनांक 28.03.2025 से प्रदान की गई है। उक्त तैयार योजना में शासन के कैम्पा मद में जमा करने हेतु राशि रुपये 94,25,602.00 (रुपये चौरानबे लाख, पच्चीस हजार, छः सौ दो मात्र) का आंकलन कर दर्शित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उल्लेखित आंकलित कुल राशि रुपये 94,25,602.00 (रुपये चौरानबे लाख, पच्चीस हजार, छः सौ दो मात्र) का भुगतान शासन के कैम्पा (CAMP) मद में तत्काल जमा कराने का कष्ट करें। तथा आपके विभाग/संस्थान द्वारा शासन के CAMP मद में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कराई गयी उपरोक्त राशि की सूचना एवं संबंधित अभिलेख आदि की सत्यापित प्रति तत्काल इस वनमंडल कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अधर गुप्ता)

भा०व०स०

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 02/04/2025

पृ.क्रमांक/तकनीकी/

2356

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भांकित एवं आपके आदेश क्रमांक/व्यय ऑ./109 दिनांक 28.03.2025 एवं पत्र पृ.क्र./व्यय ऑ./1616 दिनांक 28.03.2025 के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला-बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
4. वनमंडलाधिकारी, उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
5. उपवनमंडलाधिकारी, लांजी (सा.) उपवनमंडल की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. वन परिक्षेत्र अधिकारी, किरनापुर (सा.) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. शाखा प्रभारी व्यय/राजस्व शाखा दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अधर गुप्ता)

भा०व०स०

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट